रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 13, 2018/श्रावण 22, 1940
No. 566] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 13, 2018/SHRAVANA 22, 1940

नागर विमानन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 770(अ),–कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसमें केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के पश्चात उक्त प्रारूप नियम पर विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, तो उसे महानिदेशक नागर विमानन, सफदरजंग हवाईअड्डा के सामने, नई दिल्ली-110003 को भेजें या dgoffice.dgca@nic.in पर मेल करें;

उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (............संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में,—

(क) नियम 3 में,—

(क) खंड (10ख) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात:-

"(10खख) अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन से महानिदेशक, नागर विमानन द्वारा अनुमोदित संगठन अभिप्रेत है और जो अनुमोदित प्रशिक्षण निष्पादित करने के लिए यथा अधिकथित नियमों के अनुसार प्रशिक्षण संचालित करता है;"

(ख) खंड (12) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात : —

"(12क) सक्षमता से वह कौशल, ज्ञान और अभिवृत्ति का संयोजन अभिप्रेत है जो विहित अपेक्षा के अनुसार कार्य निष्पादित करने के लिए अपेक्षित है;";

(ख) नियम 93 में, "वायुयान (……संशोधन) नियम, 2012" शब्दों के स्थान पर, "वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 2018" शब्दों को रखा जाए;

(ग) नियम 95 में, उप-नियम (1) में, खंड (ज) का लोप किया जाए ;

(घ) नियम 96 का लोप किया जाए;

(ङ) नियम 97 में,

(क) उप-नियम (1) के अधीन परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक को रखा जाए, अर्थात :-

"परंतु यह कि कोई छात्र विमान यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति का धारक अपनी अनुज्ञप्ति में ऐसी रेटिंग के पृष्ठांकन हेतु अर्हक प्रयोजनों के लिए सुसंगत रेटिंग के बिना किसी ऐसे व्यक्ति जो उस विशिष्ट विमान यातायात सेवा यूनिट में रेटिंग का धारक है और वह महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य संगठन द्वारा अनुदेशक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत हैं, के सीधे पर्यवेक्षण में किसी विशेष विमान यातायात सेवा यूनिट में ड्यूटी निष्पादित कर सकेगा।";

(ख) उपनियम- (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपअर्थात ,नियम को रखा जाए-: —

"(3) उप-नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए, महानिदेशक प्राधिकृत कर सकते हैं:

(i) कोई विमान यातायात अनुज्ञप्ति का धारक उस यूनिट जिस पर उसकी अनुज्ञप्ति है, के पृष्ठांकन के बिना नई संस्थापित विमान यातायात सेवा यूनिट में ड्यूटी निष्पादित कर सकेगा यह तब जब कि उसने उक्त यूनिट में सिमुलेशन प्रशिक्षण पूरा किया हो और महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए किसी अन्य संगठन द्वारा विधिवत प्राधिकृत सक्षम निर्धारण बोर्ड द्वारा ऐसी ड्यूटी जो उपयुक्त हो, का निर्धारण किया गया हो।

स्पष्टीकरण:— इस नियम के प्रयोजन के लिए "सिमुलेशन प्रशिक्षण" के अंतर्गत स्वतः/कम्पयूटर जनित विमान यातायात परिवेश या साधारण अनुदेशक चालित अन्योन्याश्रित भूमिका का निर्वहन हो सकता है।

(ii) किसी विमान यातायात नियंत्रक की तैनाती किसी ऐसे हवाई अड्डे पर जिस पर उसकी अनुज्ञप्ति है, पृष्ठांकन के बिना उस हवाई अड्डे पर अस्थाई रूप से विमान यातायात नियंत्रक की ड्यूटी निष्पादित कर सकेगा यह तब जबकि उन्नतर विमान यातायात सघनता वाले किसी अन्य हवाई अड्डे पर समान रेटिंग का धारक है और उसका किसी विमान यातायात नियंत्रक जिसके पास अस्थाई ड्यूटी वाले हवाई अड्डे की रेटिंग हो, द्वारा ऐसी ड्यूटी जो उपयुक्त हो, निर्धारण किया गया है।";

(च) नियम 98 में, निम्नलिखित को रखा जाए: —

"98. रेटिंग प्रशिक्षण निर्देशिका: प्रत्येक विमान यातायात सेवा केंद्र में एक रेटिंग प्रशिक्षण निर्देशिका होगी जिसमें ऐसी रेटिंग जो महानिदेशक द्वारा विधिवत अनुमोदित अनुसूची-III में यथाविनिर्दिष्ट है, की अपेक्षा को पूरा करने के लिए ऑन-द जॉब ट्रेनिंग, परीक्षा और प्रक्रिया के ब्यौरे होंगे।"

(छ) नियम 99 में, —

(क) उप-नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम-को रखा जाए, अर्थातः-

"(3) फीस का संदाय उस रीति जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, में किया जाएगा।";

(ख) उप-नियम (4) का लोप किया जाए;

(ज) नियम 104 में,—

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाए, अर्थात:-

"(1) कोई छात्र विमान यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति जारी करने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और इसका नवीकरण महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अगले तीन वर्षों की अनधिक अवधि के लिए किया जा सकेगा।";

(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाए, अर्थात:-

" विमान यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति की वैधता धारक के साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होगी।";

(ग) उप नियम-(3) में, "दो" शब्द के स्थान पर, "चार" शब्द को रखा जाए;

(घ) उप-नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को रखा जाए, अर्थात:-

"परंतु यदि महानिदेशक संतुष्ट हैं कि एक आपातकालीन स्थिति उपस्थित है और वैध कारण हैं जिसके कारण अनुज्ञप्ति धारक चिकित्सा जांच कराने में असमर्थ है, तब महानिदेशक चिकित्सीय योग्यता निर्धारण की वैधता को अधिकतम पैंतालीस दिनों की अवधि तक बढ़ा सकते हैं|"

(ङ) उप के (4) नियम-स्थान पर ,निम्नलिखित उप,नियम को रखा जाए- अर्थातः-

"(4) उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट चिकित्सीय योग्यता की विधिमान्यता की अवधि अनुज्ञप्ति के धारक की चालीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात दो वर्ष तक घटा दी जाएगी और अनुज्ञप्ति के धारक की पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने पश्चात एक वर्ष और घटा दी जाएगी।";

(च) उप-नियम 6 में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाए, अर्थात: —

"(ख) नवीकरण की दशा में, नवीकरण की तारीख का विचार किए बिना, पूर्ववर्ती चिकित्सीय योग्यता निर्धारण की समाप्ति की तारीख की पश्चात वाली तारीख से चिकित्सीय योग्यता निर्धारण की विधिमान्यता की अवधि आरंभ होगी परंतु यह तब जब कि नवीकरण के लिए चिकित्सीय परीक्षा विधिमान्यता की अवधि पूर्ववर्ती पैंतालीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर की गई है।";

(झ) नियम 107 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाए, अर्थातः-

"(1) कोई विमान कोई विमान यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति की धारक, अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों और अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित रेटिंग का प्रयोग तब तक नहीं कर जब तक कि सक्षमता और अभिनवता की अपेक्षा की पूर्ति नहीं करता और विमान यातायात सेवा यूनिट में या उस सेक्टर जिसमें वह ऐसा कार्य करता है, के लिए विधिमान्य रेटिंग नहीं है।"

(ञ) नियम 108 में "यूनिट या प्रचालन स्थिति" शब्दों के स्थान पर, "यूनिट" शब्द को रखा जाए;

(ट) नियम 109 में, उप-नियम (2) में "अनुज्ञप्ति" शब्द के लिए पर, "अनुज्ञप्ति या रेटिंग" शब्दों को रखा जाए;

(ठ) नियम 112 में, उप-नियम (1) में "महानिदेशक" शब्दों के स्थान पर, "महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत कोई अन्य संगठन" शब्दों को रखा जाए;

(ड) नियम 114 में, उप-नियम (2), (3) और (4) के स्थान पर, निम्नलिखित नियमों को रखा जाए, अर्थात: —

"(2) प्रशिक्षण संगठन, एक प्रशिक्षण और प्रक्रिया निर्देशिका तैयार करेगा जिसमें महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट सूचना निहित होगी और वह इसे महानिदेशक से अनुमोदित कराएगा।

(3) किसी प्रशिक्षण संगठन का अनुमोदन पांच वर्षों से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य होगा जब तक कि उसका निलम्बन या रद्दकरण नहीं हो जाता जबकि इसका नवीकरण समय पर महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अधीन पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए किया जा सकेगा।

(4) (क) अनुमोदन प्रदान करने के लिए कोई प्रशिक्षण संगठन चार लाख रूपये और नवीकरण या प्रत्येक समय कार्यक्षेत्र में विस्तार करने के लिए दो लाख रुपये की फीस संदाय करेगा।

(ख) फीस का संदाय उस रीति जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, में किया जाएगा।";

(ढ) नियम 118 क का लोप किया जाए;

(ण) अनुसूची III में, अनुभाग क में, —

(क) पैरा 2 में, उप-पैरा (क) में, खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाए, अर्थात:—

"(iv) विनिर्दिष्ट फीस का संदाय;"

(ख) पैरा 3 में, उप-पैरा (क) में, खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाए, अर्थात:—

"(iii) विनिर्दिष्ट फीस का संदाय; और"

(ग) पैरा 6 में, —

(i) शीर्षक में, "निर्धारण", शब्द के स्थान पर "अनुभव" शब्द को रखा जाए;

(ii) उप-पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा को रखा जाए, अर्थात:—

"वांछा की गई रेटिंग के लिए आवेदन की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती छह मास की अवधि के भीतर अनुभाग घ,ङ.,च,छ,ज, में विनिर्दिष्ट अनुभव को पूरा करेगा।";

(iii) उप-पैरा (ग) में, "या मूल्यांकन", शब्द का लोप किया जाए;

(घ) पैरा 7 में, पहले परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात:-

"परन्तु यह और कि जब दो विमान यातायात नियत्रंक रेटिंग की समवर्ती रूप से मांग की जाए, तब अनुज्ञप्ति धारक और अधिक मांग रेटिंग की अनुभव अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा।"

(त) अनुसूची III में, अनुभाग ख में,-

(क) पैरा 1 में,—

(i) खंड (ख) में "विज्ञान में डिग्री या भौतिकी और गणित सहित समतुल्य परीक्षा" शब्दों के स्थान पर "भौतिकी और गणित सहित विज्ञान में डिग्री या समतुल्य परीक्षा" शब्दों को रखा किया जाए;

(ii) खंड (घ) में, उप-खंड (3) में, "विद्युत संयत्र" शब्दों के स्थान पर, "ईंजन" शब्द और उप-खंड (vii) में "गैर-रूट" शब्द के स्थान पर "गैर-रूटीन" शब्द को रखा जाए;

(iii) खंड (ङ.) में, "सिमुलेटर प्रशिक्षण सहित" शब्दों का लोप किया जाए;

(ख) पैरा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा को रखा जाए, अर्थात:—

"3. नवीकरण-अनुज्ञप्ति का नवीकरण पैरा 1(ग) में यथा विनिर्दिष्ट नई चिकित्सीय परीक्षा की तारीख से तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए किया जा सकेगा।

4. विशेषाधिकार.–अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के अधीन रहते हुए, छात्र विमान यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति का धारक अपनी अनुज्ञप्ति पर ऐसी रेटिंग के पृष्ठांकन हेतु अर्हक प्रयोजन के लिए ऑन-द-जॉब-ट्रेनिंग की अपेक्षा को पूरा करने के लिए किसी विशेष विमान यातायात सेवा यूनिट में विमान यातायात नियंत्रक के रूप में कार्य कर सकेगा:

परन्तु यह तब जब कि:

(i) वह उस विमान यातायात सेवा यूनिट में रेटिड प्राधिकृत अनुदेशक के पर्यवेक्षण में प्रत्येक समय ड्यूटी निष्पादित करेगा।

(ii) वह उस विमान यातायात नियंत्रक यूनिट में ड्यूटी निष्पादित करेगा जिसके लिए उसने अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पणी— छात्र विमान यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति इस बाबत विशेष रूप से प्राधिकृत किसी संगठन द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो महानिदेशक द्वारा अधिकथित की जाएं, जारी की जा सकेगी।";

(थ) अनुसूची III में, अनुभाग ग में, पैरा 1 में,—

a) खंड (ख) में, "विज्ञान में डिग्री या भौतिकी और गणित सहित समतुल्य परीक्षा" शब्दों के स्थान पर, "भौतिकी और गणित सहित विज्ञान में डिग्री या समतुल्य परीक्षा" शब्दों को रखा जाए;

b) खंड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाए:-

"(ड) अनुभव,-उसने उपयुक्त रूप से किसी ऐसे रेटिंग विमान नियंत्रक जिसे अनुभाग घ,ड.,च,छ,ज, ज्ञ में विनिर्दिष्ट अनुभव के रूप में क्रेडिट दी गई है, के पर्यवेक्षण में विमान यातायात के वास्तविक नियंत्रण में जुड़ कर तीन माह से अन्यून की संतोषप्रद रूप में सेवा पूरी की होगी।";

(द) अनुसूची III में, अनुभाग घ में, पैरा 1 में,—

(क) खंड (क) में, उप-खंड (vi) में, "लैंडमार्क्स", शब्दों के स्थान पर "लैंडमार्क्स" शब्द और उप-खंड (x) में, "स्थान", शब्द के स्थान पर " एटीएस यूनिट" शब्दों को रखा जाए;

(ख) खंड (ख) के अधीन परन्तुक में "अन्य विमान क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर, "अन्य विमान क्षेत्र या उस विमान क्षेत्र की कोई अन्य रेटिंग" शब्दों को रखा जाए;

(ग) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाए, अर्थात:—

"(ग) कौशल.– उसने अपने कौशल, निर्णय और सुरक्षा प्रदान करने वाले कार्य निष्पादन, सामान्यतः और त्वरित विमान क्षेत्र नियंत्रण सेवा जिसमें चुनौतियों की पहचान और प्रबंधन और दोषों का सुधार सम्मिलित है, के बाबत किसी बोर्ड/परीक्षक द्वारा सफलतापूर्वक निर्धारण कराया होगा और आन-दि-जाब ट्रेनिंग अपेक्षा पूरी करने के पश्चात यथा संभव निर्धारण कराएगा।.";

(ध) अनुसूची III में, अनुभाग ड. में, पैरा 1, —

(क) खंड (क) में, उप-खंड (v) में, "लैंडमार्क्स", शब्दों के स्थान पर, "लैंडमार्क्स" शब्द और उप-खंड (ix) में, "स्थान", शब्द के स्थान पर, " एटीएस यूनिट" शब्दों को रखा जाए;

(ख) खंड (ख) के अधीन परन्तुक में "अन्य विमान क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर, "अन्य विमान क्षेत्र या कोई अन्य रेटिंग" शब्दों को रखा जाए;

(ग) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाए, अर्थात: —

"*(ग) कौशल*.– उसने अपने कौशल, निर्णय और सुरक्षा प्रदान करने वाले कार्य निष्पादन, सामान्यत और त्वरित एप्रोच नियंत्रण सेवा जिसमें चुनौतियों की पहचान और प्रबंधन और दोषों का सुधार सम्मिलित है, के बाबत किसी बोर्ड/परीक्षक द्वारा सफलतापूर्वक निर्धारण कराया होगा और आन-दि-जाब ट्रेनिंग अपेक्षा पूरी करने के पश्चात यथा संभव निर्धारण कराएगा।.";

(न) अनूसूची III में, अनुभाग च में, —

(क) पैरा 1 में,—

(i) खंड (क), उप-खंड (v) में, "लैंडमार्क्स", शब्दों के स्थान पर, "लैंडमार्क्स" शब्द और उप-खंड (xi) में, "स्थान" शब्द के स्थान पर, "एटीएस यूनिट" शब्दों को रखा जाए;

(ii) ख के अधीन (ख) परन्तुक में "अन्य विमान क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर, "अन्य उस विमान क्षेत्र या उस विमान क्षेत्र अन्य रेटिंग" शब्दों को रखा जाए;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाए, अर्थात: —

"*(ग) कौशल*.– उसने अपने कौशल, निर्णय और सुरक्षा प्रदान करने वाले कार्य निष्पादन, सामान्यत और त्वरित एप्रोच नियंत्रण सेवा जिसमें चुनौतियों की पहचान और प्रबंधन और दोषों का सुधार सम्मिलित है, के बाबत किसी बोर्ड/परीक्षक द्वारा सफलतापूर्वक निर्धारण कराया होगा और आन-दि-जाब ट्रेनिंग अपेक्षा पूरी करने के पश्चात यथा संभव निर्धारण कराएगा।";

(ख) पैरा 4 में"यूनिट के लिए प्रणाली" शब्दों के स्थान पर, "विमान क्षेत्र या विमान क्षेत्रों के लिए प्रणाली" शब्दों को रखा जाए;

(प) अनूसूची III में, अनुभाग घ में, पैरा 1 में —

(क) खंड (क) में, उप-खंड (v) में, "लैंडमार्क्स", शब्दों के स्थान पर, "लैंडमार्क्स" शब्द और उप-खंड (ix) में, "स्थान" शब्द के स्थान पर, "एटीएस यूनिट" शब्दों को रखा जाए;

(ख) खंड (ख) के अधीन परन्तुक में "विमान यातायात सेवा यूनिट" शब्दों के स्थान पर, "विमान क्षेत्र या उस विमान क्षेत्र अन्य रेटिंग" शब्दों को रखा जाए;

(क) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाए, अर्थात: —

"*(ग) कौशल*.– उसने अपने कौशल, निर्णय और सुरक्षा प्रदान करने वाले कार्य निष्पादन, सामान्यत और त्वरित एप्रोच नियंत्रण सेवा जिसमें चुनौतियों की पहचान और प्रबंधन और दोषों का सुधार सम्मिलित है, के बाबत किसी बोर्ड/परीक्षक द्वारा सफलतापूर्वक निर्धारण कराया होगा और आन-दि-जाब ट्रेनिंग अपेक्षा पूरी करने के पश्चात यथा संभव निर्धारण कराएगा।.";

(फ) अनूसूची III में, अनुभाग ज में, पैरा 1 में —

(क) खंड (क) में, उप-खंड (v) में, "लैंडमार्क्स", शब्दों के स्थान पर, "लैंडमार्क्स" शब्द और उप-खंड (xi) में, "स्थान" शब्द के स्थान पर, "एटीएस यूनिट" शब्दों को रखा जाए;

(ख) खंड (ख) के अधीन परन्तुक में "विमान यातायात सेवा यूनिट" शब्दों के स्थान पर, "विमान क्षेत्र या उस विमान क्षेत्र अन्य रेटिंग" शब्दों को रखा जाए;

(ग) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाए, अर्थात: —

"*(ग) कौशल*.– उसने अपने कौशल, निर्णय और सुरक्षा प्रदान करने वाले कार्य निष्पादन, सामान्यत और त्वरित क्षेत्रीय नियंत्रण सेवा जिनमें चुनौतियों की पहचान और प्रबंधन और दोषों का सुधार सम्मिलित

है, के बाबत किसी बोर्ड/परीक्षक द्वारा सफलतापूर्वक निर्धारण कराया होगा और जाब ट्रेनिंग अपेक्षा पूरी करने के पश्चात यथा संभव निर्धारण कराया होगा।";

(ब) अनुसूची III में, अनुभाग झ का लोप किया जाए;

(भ) अनुसूची III में, अनुभाग ञ में, पैराग्राफ (1) में,—

(क) खंड (क) में, उप-खंड (vi) में, "लैंडमार्क्स", शब्दों के स्थान पर, "लैंडमार्क्स" शब्द और उप-खंड (x) में, "स्थान", शब्द के स्थान पर, "एटीएस यूनिट" शब्दों को रखा जाए;

(ख) खंड (ख) में, उप-खंड (i) में, "समुद्री",शब्द के स्थान पर "क्षेत्रीय" शब्द को रखा जाए;

(ग) खंड (ख) के अधीन परन्तुक में, "विमान यातायात सेवा यूनिट" शब्दों के स्थान पर, "विमान क्षेत्र या उस विमान क्षेत्र की कोई अन्य रेटिंग." शब्दों का रखा जाए;

(घ) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाए, अर्थात: —

"*(ग) कौशल*.– उसने अपने कौशल, निर्णय और सुरक्षा प्रदान करने वाले कार्य निष्पादन, सामान्यत और त्वरित विमान यातायात नियंत्रण सेवा जिनमें चुनौतियों की पहचान और प्रबंधन और समुद्री नियंत्रण केन्द्र में दोषों का सुधार सम्मिलित है, के बाबत किसी बोर्ड/परीक्षक द्वारा सफलतापूर्वक निर्धारण कराया होगा और जाब ट्रेनिंग अपेक्षा पूरी करने के पश्चात यथा संभव निर्धारण कराया होगा।"।

[फा. सं.ए.वी. 11012/2/2017-ए]

अरुण कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना संख्या वी-26 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 4 अप्रैल, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड-(i), में प्रकाशित तारीख 4 अप्रैल, 2018 की सा.का.नि.सं. 333 (अ) द्वारा किए गए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2018

G.S.R. 770(E).—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003 or mailed to dgoffice.dgca@nic.in;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Aircraft (……. Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette

2. In the Aircraft Rules, 1937,—

(i) in rule 3,—

(a) after clause (10B), the following clause shall be inserted, namely:-

"(10BB) Approved training organization means an organization approved by the Director-General and operating in accordance with the laid down rules to perform approved training;"

(b) after clause (12), the following clause shall be inserted, namely: —

"(12A) Competency means a combination of skills, knowledge and attitudes required to perform a task to the prescribed requirement;";

(B) in rule 93, for the words "Aircraft (……Amendment) Rules, 2012", the words "Aircraft (4th Amendment) Rules, 2018" shall be substituted;

(C) in rule 95, in sub-rule (1), clause (h) shall be omitted;

(D) rule 96 shall be omitted;

(E) in rule 97,

(a) for the proviso under sub-rule (1), the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that the holder of a Student Air Traffic Controller's or an Air Traffic Controller's Licence may perform duty in a particular air traffic services unit without the relevant rating, for the purpose of qualifying for endorsement of such rating in his licence, under the direct supervision of a person holding the rating for that particular air traffic services unit and authorised by the Director General or by any other organisation specially authorised by the Director General, to act as an instructor."

(b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Director-General may authorise;

(i) the holder of an Air Traffic Controller's Licence to perform duty in a newly established air traffic service unit without endorsement of that unit on his licence provided he has completed simulation training for the said unit and has been assessed as fit for such duties by competent assessment board duly authorized by the Director-General or by any other organization specifically authorized by the Director-General for this purpose.

Explanation: — For the purpose of this rule 'Simulation training' may include an automated/computer generated air traffic environment or a simple instructor-driven interactive role play.

(ii) deployment of an air traffic controller to perform air traffic control duties temporarily at an airport without endorsement of that airport on his licence, provided he holds similar ratings for another airport with higher air traffic density and is assessed as fit for such duties by an air traffic controller holding the rating for the airport of temporary duty.";

(F) in Rule 98, the following shall be substituted: —

"98. Rating Training Manual: At each air traffic service station, there shall be a rating training manual containing the syllabus for on the job training, examination and procedures to meet the requirements for ratings as specified in Schedule III, duly approved by the Director-General."

(G) in rule 99, —

(a) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

"(3) The fee shall be paid in the manner as specified by the Director-General.";

(b) sub-rule (4) shall be omitted;

(H) in rule 104, —

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

"(1) A Student Air Traffic Controller's Licence shall remain valid for a maximum period of three years from the date of issue and may be renewed for a further period not exceeding three years subject to conditions specified by the Director-General.";

(b) for sub-rule(2), the following sub-rule shall be substituted namely:-

"An Air Traffic Controller's licence shall be valid until the holder attains the age of sixty years"

(c) in sub-rule (3), for the word "two", the word "four" shall be substituted;

(d) after sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the Director-General may extend the validity of a medical fitness assessment by a maximum period of forty-five days, if he is satisfied that an emergency situation exists and there are valid reasons due to which the licence holder is unable to undergo a medical examination."

(e) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

"(4) The period of validity of medical fitness specified in sub-rule (3), shall be reduced to two years after the holder of the licence has attained the age of forty years which shall be further reduced to one year after the holder of the licence has attained the age of fifty years.";

(f) in sub-rule (6), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: —

"(b) In case of renewal, the period of validity of medical fitness assessment shall commence from the date following the date of expiry of the previous medical fitness assessment, irrespective of the date of renewal, provided the medical examination for renewal has been conducted within a period of not more than forty five days preceding the date of expiry of the previous validity.";

(I) in rule 107, for sub-rule (1) the following shall be substituted, namely —

"(1) The holder of an Air Traffic Controller's Licence shall not exercise the privileges of the licence and the rating endorsed on the licence unless he meets the competency and recency requirements and the rating is valid for the air traffic services unit at or the sector on which he so acts."

(J) in rule 108, for the words "unit or operational position", the words "unit" shall be substituted;

(K) in rule 109, in sub-rule (2), for the word "licence", the words "licence or rating" shall be substituted;

(L) in rule 112, for sub-rule (1), for the words "Director-General", the words "Director-General or any other organization specifically authorized by the Director-General" shall be substituted;

(M) in rule 114, for sub-rules (2), (3) and (4), the following rules shall be substituted, namely: —

"(2) The training organisation shall prepare a Training and Procedures Manual containing the information specified by the Director-General and get it approved by the Director-General.

(3) Approval of a training organisation shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period not exceeding five years, which may be renewed for a period not exceeding five years at a time subject to the terms and conditions specified by the Director-General.

(4) (a) For the grant of approval, a training organisation shall pay, a fee of four lakh rupees and two lakh rupees for renewal or extension of scope on each occasion.

(b) The fee shall be paid in the manner as specified by the Director-General.";

(N) rule 118A shall be omitted;

(O) in schedule III, in Section A, —

(a) in paragraph 2, in sub-paragraph (a), for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:—

"(iv) payment of the specified fee;"

(b) in paragraph 3, in sub- paragraph (a), for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely: —

"(iii) payment of the specified fee; and"

(c) in paragraph 6, —

(i) in heading, the word "assessment", the word "experience" shall be substituted;

(ii) for the sub-paragraph (b), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

"The experience specified in Sections D, E, F, G, H, J shall be completed within the six-month period immediately preceding the date of application for the rating sought.";

(iii) sub-paragraph (c), the words "or assessment" shall be omitted;

(d) in paragraph 7, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided further that when two air traffic controller ratings are sought concurrently, the licence holder shall meet the experience requirements of the more demanding rating."

(P) in schedule III, in Section B, —

(a) in paragraph 1, —

(i) in clause (b), for the words "degree in Science or an equivalent examination with Physics and Mathematics", the words "degree in Science with Physics and Mathematics or an equivalent examination" shall be substituted;

(ii) in clause (d), in sub-clause (iii), for the words "power plants", the word "engines" and in sub-clause (vii), for the word "non-route", the word "non-routine" shall be substituted;

(iii) in clause (e), the words "including simulator training" shall be omitted;

(b) for the paragraph 3, the following paragraphs shall be substituted , namely : —

"**3. Renewal—** The licence may be renewed for a period not exceeding three years from the date of fresh medical examination as specified in para 1(C).

4. Privileges.– Subject to the validity of licence, the holder of a Student Air Traffic Controller's Licence may perform duty as an air traffic controller in a particular air traffic service unit in order to complete the requirement of on-the-job-training for the purpose of qualifying for endorsement of such rating on his licence:

Provided that:

(i) He shall perform duty at all times under the direct supervision of an authorized instructor rated on that air traffic service unit,

(ii) He shall perform duty in an air traffic control unit for which he has successfully completed an approved training course.

Note — The Student Air Traffic Controller Licence may be issued by an organization specifically authorised in this regard and subject to the conditions as laid down by the Director-General.";

(Q) in Schedule III, in Section C, in paragraph 1, —

(a) in clause (b), for the words "degree in Science or an equivalent examination with Physics and Mathematics", the words "degree in Science with Physics and Mathematics or an equivalent examination" shall be substituted;

(b) for clause (e), the following clause shall be substituted: —

"(e) Experience.– He shall have completed not less than three months of satisfactory service engaged in the actual control of air traffic under the supervision of an appropriately rated air traffic controller which may be credited as part of the experience specified in Sections D, E, F, G, H, J.";

(R) in schedule III, in Section D, in paragraph 1, —

(a) in clause (a), in sub-clause (vi), for the words "land marks", the word "landmarks" and in sub-clause (x), for the word "place", the words " ATS unit" shall be substituted;

(b) in the proviso under clause (b), for the words "other aerodrome", the words "other aerodrome or any other rating of that aerodrome" shall be substituted;

(c) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: —

"*(c) Skill*.– He shall have been assessed successful by a Board/examiner regarding his skill, judgement and performance to provide a safe, orderly and expeditious aerodrome control service including the recognition and management of threats and errors and the assessment shall be conducted as soon as possible after the completion of on-the-job training requirement.";

(S) in schedule III, in Section E, in paragraph 1, —

b) in clause (a), in sub-clause (v), for the words "land marks", the word "landmarks" and in sub-clause (ix), for the word "place", the words " ATS unit" shall be substituted;

c) in the proviso under clause (b), for the words "other aerodrome", the words "other aerodrome or any other rating of that aerodrome" shall be substituted;

(c) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: —

"*(c) Skill*.– He shall have been assessed successful by a Board/examiner regarding his skill, judgement and performance to provide a safe, orderly and expeditious approach control service

including the recognition and management of threats and errors and the assessment shall be conducted as soon as possible after the completion of on-the-job training requirement.";

(T) in schedule III, in Section F, —

(a) in paragraph 1, —

(i) in clause (a), in sub-clause (v), for the words "land marks", the word "landmarks" and in sub-clause (xi), for the word "place", the words " ATS unit" shall be substituted;

(ii) in the proviso under clause (b), for the words "other aerodrome", the words "other aerodrome or any other rating of that aerodrome" shall be substituted;

(iii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: —

"*(c) Skill*.– He shall have been assessed successful by a Board/examiner regarding his skill, judgement and performance to provide a safe, orderly and expeditious approach control service including the recognition and management of threats and errors and the assessment shall be conducted as soon as possible after the completion of on-the-job training requirement.";

(b) in paragraph 4, for the words "systems for the unit", the words "systems for the aerodrome or aerodromes" shall be substituted;

(U) in schedule III, in Section G, in paragraph 1, —

(a) in clause (a), in sub-clause (v), for the words "land marks", the word "landmarks" and in sub-clause (ix), for the word "place", the words " ATS unit" shall be substituted;

(b) in the proviso under clause (b), for the words "air traffic services unit.", the words "aerodrome or any other rating of that aerodrome." shall be substituted;

(c) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: —

"*(c) Skill*.– He shall have been assessed successful by a Board/examiner regarding his skill, judgement and performance to provide a safe, orderly and expeditious area control service including the recognition and management of threats and errors and the assessment shall be conducted as soon as possible after the completion of on-the-job training requirement.";

(V) in schedule III, in Section H, in paragraph 1, —

(a) in clause (a), in sub-clause (v), for the words "land marks", the word "landmarks" and in sub-clause (xi), for the word "place", the words " ATS unit" shall be substituted;

(b) in the proviso under clause (b), for the words "air traffic services unit.", the words "aerodrome or any other rating of that aerodrome." shall be substituted;

(c) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: —

"*(c) Skill*.– He shall have been assessed successful by a Board/examiner regarding his skill, judgement and performance to provide a safe, orderly and expeditious area control service including the recognition and management of threats and errors and the assessment shall be conducted as soon as possible after the completion of on-the-job training requirement.";

(W) in schedule III, Section I shall be omitted;

(X) in schedule III, in Section J, in paragraph (1), —

(a) in clause (a), in sub-clause (vi), for the words "land marks", the word "landmarks" and in sub-clause (x), for the word "place", the words " ATS unit" shall be substituted;

(b) in clause (b), in sub-clause (i), for the word "oceanic", the word "area" shall be substituted;

(c) in the proviso under clause (b), for the words "air traffic services unit.", the words "aerodrome or any other rating of that aerodrome." shall be substituted;

(c) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: —

"*(c) Skill*.– He shall have been assessed successful by a Board/examiner regarding his skill, judgement and performance to provide a safe, orderly and expeditious air traffic control service including the recognition and management of threats and errors in the Oceanic Control Center and the assessment has to be conducted as soon as possible after the completion of on-the-job training requirement.".

[F. No. AV.11012/2/2017-A]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 333(E) dated the 4th April, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 4th April, 2018.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.08.16 20:07:23 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.